न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 34/2024

1. इन्द्रपाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. काशीराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. बृजलाल पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजाराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. रामचन्द्र पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. सोहनलाल पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. बाबत रास्ता स्वीकृति

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता –	प्रार्थी
2. श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता–	अप्रार्थी संख्या 1 ता 6
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 7

–निर्णय–

दिनांकः– 14/02/25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम रास्ता प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मन निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्राप्त हाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता हाजिर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार को पत्र जारी किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है शामिल प्रार्थना [illegible] है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्त[illegible]51–क सीपीसी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से [illegible] कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 24 जेआरके [illegible] का किला नं. 10/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, प.न. 28/252 [illegible]1/1, 2/1 कुल तादा[illegible] हैक् नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 [illegible] राजस्व रिकार्ड है। प्रमा[illegible] जमाबन्दी मय नक्शा सलंग्न प्रार्थना पत्र की गई है।

अप्रार्थी सं. 1 ता 6 के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 24 जेआरके के खाता सं. 54 के प.नं. 28/252 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.04 13:46:05 IST
Reason: SelfAttested

कुल 3.795 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना पत्र की गई है।

कृषि भूमि की पूर्वी दिशा चक 22 जेआरके के प.नं. 29/252 के किला नं. 1, 10, 11, अप्रार्थी सं. 1 ता 6 की प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित 3.795 हैक. 20, 21 प्रत्येक में 0.038–0.038 हैक. गै.मु.रास्ता (हांसलिया रोड़) का लगता है और प्रार्थी अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं 3 ता 5 में वर्तमान में चल रहे रास्ता से अपनी कृषि भूमि मे आवगमन करता है। उक्त रास्ता काफी वर्षो से बिना किसी विवाद के चला आ रहा है। प्रार्थी की कृषि भूमि को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही लगता है इसलिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 24 जेआरके के प.नं. 28/252 के किला नं. 3 ता 5 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक. बैजानिव उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी रास्ता की एवज में डीएलसी दर की दौगुणी राशि अप्रार्थीगण को देने के लिए तैयार है।

चक 24 जेआरके के प.नं. 28/252 के किला नं. 3 ता 5 प्रत्येक में मौका पर चल रहे रास्ता को अप्रार्थीगण रंजिशवंश बन्द करना चाहते हैं। यदि अप्रार्थीगण अपने इन मनसुबो कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी तथा प्रार्थी अपने खेत मे जाने से वंचित रह जायेगा इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए रास्ता स्वीकृत किया जाना नितांत आवश्यक है। अप्रार्थी सं. 7 भूधारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार एवं उनकी अहम जवावदेही है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 24 जेआरके के प.नं. 28/252 के किला नं. 3 ता 5 प्रत्येक मे 0.025–0.025 हैक. बैजानिव उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल सुथार हाजिर आये। अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में अप्रार्थीगण की रिकार्डेड खातेदारी भूमि के चक 22 जेआरके के प.न. 29/252 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता होना स्वीकार है लेकिन बाकि तथ्य मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी के द्वारा कभी भी अप्रार्थीगण की भूमि में मध्य यानि प.न. 28/252 के किला नं. 3 ता 5 में कोई रास्ता नहीं है व न ही प्रार्थी द्वारा कभी भी इसका प्रयोग किया गया है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य से किसी भी प्रकार से रास्ता मंजुर करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी आज तक चक 24 जेआरके के प.न. 27/252 के किला न. 1 ता 5 में खाला चल रहा है जो मौका पर 6 फुट में है व खाला 16 फुट का मंजूर शुदा है इसलिए प्रार्थी खाला के पास से 10 फुट का रास्ता का प्रयोग करते आ रहे है। इस भूमि को बिना किसी मुआवजे के रास्ता मंजुर किया जा सकता है। यहां यह कहा जाना भी न्यायोचित होगा, कि प्रार्थी ने अपने दो बीघा भूमि के लिए रास्ता की मांग की है लेकिन इस प.न. 28/252 में किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22 में अपने सगे भाई आत्माराम व कृष्णलाल पिसरान बीरबल राम को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इन खातेदारों को भी अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। भविष्य में ये खातेदार काश्तकारों को भी रास्ता नहीं होने के कारण ये रास्ता की मांग करेंगें। इन खातेदार काश्तकारों की सुविधा को देखते हुए उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये । प्रार्थी के द्वारा अपने द्वारा दर्शाये गये तथाकथित रास्ता का कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है इसलिए मार्ग का बन्द किया जाना व [illegible] होने के तथ्य गलत बयान है। प्रार्थी द्वारा लगातार चक 24 जेआरके के प.न. 271252 के किला न. 1 ता 5 के खाला के पास 10 फुट में से आना जाना करते है । प्रार्थी के अलावा उनके भाई आत्माराम व कृष्णलाल के द्वारा भी इसी रास्ता का प्रयोग किया जाता है। अप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने उक्त जवाब प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त कथन किए हैं कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में तथ्यों व वास्तविकता को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.04 13:46:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। यहां यह स्थिती स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रार्थी 24 जेआरके गोलूवाला का स्थाई निवासी है। प.न. 27/251 के किला न. 1 ता 10 व 28/251 के किला न. 1 ता 10 में आबादी भूमि है जिसमें आम रास्ता है जिससे प्रार्थी सीधे तौर से आबादी से किला न. 27/251 के किला न. 15, 16, 25 में से मात्र तीन किला में रास्ता मंजूर करवा सकता है तथा अपने भाईयों को भी रास्ता की सुविधा दे सकते हैं। यह भूमि नक्षत्र सिंह पुत्र टहलसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है जिसको प्रार्थी ने जानबुझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी को अपने प्रार्थना पत्र में मांग किये गये रास्ता के लिए 11 बीघा का रास्ता तय करना होगा जबकी प.न. 271251 में से 3 बीघा का रास्ता तय करना होगा। प्रार्थी के कृषि भूमि में आने जाने के लिए सबसे नजदीक रास्ता आबादी से अपनी कृषि भूमि के लिए सुगम रास्ता होगा, अन्यथा जो वर्तमान में प्रार्थी के द्वारा 27/252 में खाला के पास से प्रयोग किये जाने वाले रास्ता को मंजूर किया जा सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना अधिकारिता व नियमानुसार अधिक दूरी के रास्ता को मंजूर करवाने का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार पीलीबंगा के पत्र क्रमांक राजस्व/2022/506 दिनांक 29.06.2022 द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चक 24 जेआरके के प.नं. 28/252 कि.नं. 3 ता 5 में मौके पर बंद है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते में आने वाली भूमि से संबंधित खाते के समस्त काश्तकारन को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से कम दूरी का रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता जो मौके पर चालू हो, नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता के अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चाहा गया रास्ता मौके पर बंद है जबकि उक्त रास्त मौके पर बंद है। पूर्व में उक्त रास्ता लगभग 40 वर्षों से चालु था । प्रार्थी के द्वारा वांछित रास्ता सबसे कम दूरी का है। वर्तमान में प्रार्थी की कृषि भूमि में जाने के लिए कोई भी रास्ता चालु नहीं है। प्रार्थी को रास्ता की अत्यावश्यकता है। प्रार्थी ने जो रास्ता चाहा है वह पत्थर लाईन पर है जो कि सभी की सहुलियत के अनुसार है। अतः प्रार्थी की अत्यावश्यकता को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दाहराते हुए निवेदन किया किया कि प्रार्थी 24 जेआरके गोलूवाला का स्थाई निवासी है। प.न. 27/251 के किला न. 1 ता 10 व 28/251 के किला न. 1 ता 10 में आबादी भूमि है जिसमें आम रास्ता है जिससे प्रार्थी सीधे तौर से आबादी से किला न. 27/251 के किला न. 15, 16, 25 में से मात्र तीन किला में रास्ता मंजूर करवा सकता है तथा अपने भाईयों को भी रास्ता की सुविधा दे सकते हैं। उक्त वर्णित भूमि नक्षत्र सिंह पुत्र टहलसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है जिसे प्रार्थी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता के लिए 11 बीघा का रास्ता तय करना होगा जबकि प. न. 27/251 में से 3 बीघा का रास्ता तय करना होगा। प्रार्थी के कृषि भूमि में आने जाने के लिए सबसे नजदीक रास्ता आबादी से अपनी कृषि भूमि के लिए सुगम रास्ता होगा है इसके अलावा प्रार्थी के द्वारा 27/252 में खाला के पास से प्रयोग किये जाने वाले रास्ता को मंजूर किया जा सकता है। अतः नियमानुसार अधिक दूरी के रास्ता को मंजूर करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2022/506 दिनांक 29.06.2022 व प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटीए स्वीकार किया गया एवं चक 24 जेआरके के प.नं. 28/252 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.04 13:46:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किला नं. 3 ता 5 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक. बैजानिव उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता प्रतिकर के तौर पर अप्रार्थी संख्या रास्ता में स्वीकृत की गई भूमि की डीएलसी दर की दुगुनी राशि स्वीकृत स्वीकृत किया गया।

प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर तहसीलदार पीलीबंगा से पुन' रिपोर्ट पत्रांक 1249 दिनांक 14.05.2024 से मा. न्यायालय के निर्देशों की पालना में प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार मौके पर प्रार्थी इन्द्रपाल पुत्र बीरबलराम एवं अप्रार्थी सोहनलाल काशीराम–रामचन्द्र–औमप्रकाश पिसरान भादरराम जाति जाट उपस्थित मिले। प.न. 28/252(55) कि.न. 1/.211 एवं 2/.211 प्रार्थी इन्द्रपाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन गोलूवाला निवादान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें मौके पर कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। कि.न. 3, 4, 5 में उक्त अप्रार्थीगण की कृषि भूमि है जिससे लगता प.न. 29/252 कि.न. 1–10–11–20–21 में गै.मु. रास्ता(गोलूवाला–हांसलिया सड़क) स्थित है जो कि मौके पर चालू है। प्रार्थी इन्द्रपाल द्वारा कि.न. 3, 4, 5 प्रत्येक में 0.025 है. रास्ता चाहा गया है। इसके अतिरिक्त उक्त चाहे गये रास्ते के बराबर दूरी पर प.न. 28/251 के कि.न. 1 ता 10 में आबादी भूमि में मौके पर रास्ता है जो कि मौके पर चालू है। इसके आगे कि.न. 11, 20, 21 रामलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दोनों(चाहा गया रास्ता व आबादी भमि वाला) रास्ता बराबर दूरी पर स्थित है। उक्त दोनों के अतिरिक्त कोई स्वीकृतशुदा रास्ता या वैकल्पिक रास्ता उक्त के बराबर दूरी पर या कम दूरी पर नहीं लगता है।

प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर रामलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित करने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें वाद जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी मौका निरिक्षण बाद अस्वीकार किया गया है।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र 251–क पर अंतिम बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि रिमाण्ड होकर प्रकरण प्राप्त हुआ है पूर्व आदेशों की पालना में डीएलसी की राशी खजाना राज में जमा है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि रास्ते की उपलब्धता देखी जानी है। रामलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि मेरी जोत का विभाजन न हो इस प्रकार से रास्ता स्वीकृत हो।

आदेश

हमारे द्वारा प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार चाहा गया रास्ता एवं अन्य रास्ता जो आबादी भूमि से आता है उस से प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते की दूरी समान है एवं दोनो रास्ते मौका पर चालू नहीं है। **हमारे स्वयम् द्वारा प्रकरण में मौका निरिक्षण किया गया** मौका पर प्रार्थी की कृषि भूमि तक जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। चाहा गया रास्ता पर बना अंतेष्ठि स्थल चाहा गया रास्ता के उपर नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कि.न. 3, 4, 5 में उक्त अप्रार्थीगण की कृषि भूमि है जिससे लगता प.न. 29/252 कि.न. 1–10–11–20–21 में गै.मु. रास्ता(गोलूवाला–हांसलिया सड़क) स्थित है जो कि मौके पर चालू है। बहस पर मनन व बाद पत्रावली अवलोकन व मौका निरिक्षण बाद है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–क रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 24 जेआरके के प.नं. 28/252 के किला नं. 3 ता 5 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक. बैजानिव उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.04 13:46:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जाता है। प्रार्थी प्रतिकर के तौर पर रास्ता में स्वीकृत की गई भूमि की डीएलसी दर की दुगुनी राशि खजाना राज में जमा करवाया जाकर तहसीलदार आदेशों की पालना सुनिश्चित करे।

यदि पूर्व में प्रकरण में पारित आदेशों दिनांक 26/12/2022 की पालना में डीएलसी राशी खजाना राज में जमा है तो तहसीलदार बाद जांच अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा राशि की मांग किये जाने पर तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा हिस्सा अनुसार राशि अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को लौटाई जायेगी।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश आज दिनांक 14/02/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.04 13:46:05 IST
Reason: SelfAttested